प्रेस विज्ञप्ति

2-04-2026

ईडी ने मेसर्स अमित ट्रेडर्स से संबंधित फर्जी आईटीसी मामले में अभियोजन शिकायत दायर की; लगभग ₹116 करोड़ का धोखाधड़ीपूर्ण आईटीसी का पता चला।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), ईटानगर उप-आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स अमित ट्रेडर्स तथा अन्य संस्थाओं से संबंधित फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (पीएमएलए) रैकेट के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (आईटीसी), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), यूपिया, अरुणाचल प्रदेश के समक्ष एक अभियोजन शिकायत दायर की है। अभियोजन शिकायत पीएमएलए की धाराओं 44 और 45 के तहत धन शोधन के अपराध के लिए दायर की गई है।

ईडी ने असम राज्य कर विभाग द्वारा वास्तविक माल आपूर्ति के बिना काल्पनिक चालानों के आधार पर फर्जी आईटीसी प्राप्त करने और उसका प्रचलन करने का आरोप में दायर शिकायत के आधार पर जांच ब्यूरो)आर्थिक अपराध(, पुलिस स्टेशन, गुवाहाटी द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच प्रारंभ की। उक्त अपराध पीएमएलए के अंतर्गत अनुसूचित अपराध हैं।

ईडी की जांच में यह उजागर हुआ कि वास्तविक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति किए बिना चालानों के निर्गमन के माध्यम से फर्जी आईटीसी के सृजन और प्रचलन हेतु काल्पनिक और अस्तित्वहीन संस्थाओं का एक सुव्यवस्थित नेटवर्क बनाया गया था। आगे यह भी पाया गया कि मेसर्स श्री राम एंटरप्राइजेज फर्जी आईटीसी के लगभग ₹116 करोड़ के सृजन में मुख्य रूप से संलिप्त इकाई थी, जिसे बाद में मेसर्स अमित ट्रेडर्स, मेसर्स नेमचंद सिंह ट्रेडर्स, मेसर्स योगेश ट्रेडर्स, मेसर्स पारस ट्रेडर्स, मेसर्स श्री महालक्ष्मी एंटरप्राइजेज तथा मेसर्स टेक्नोफैब इंटरनेशनल सहित अनेक फर्जी संस्थाओं के माध्यम से परतन (लेयरिंग) कर हस्तांतरित (रूट) किया गया।

आगे यह भी उजागर हुआ कि मेसर्स अमित ट्रेडर्स एक अस्तित्वहीन इकाई है, जिसे फर्जी आईटीसी की प्राप्ति और उसके पारित करने को सुगम बनाने के उद्देश्य से बनाया गया था, तथा इसने बिना किसी संबंधित व्यावसायिक अवसंरचना या वास्तविक माल परिवहन के उच्चमूल्य के लेनदेन घोषित किए-, इस प्रकार फर्जी आईटीसी शृंखला में एक माध्यम के रूप में कार्य किया।

आगे की जांच में यह उजागर हुआ है कि श्री उबैद रहमान द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली मेसर्स श्री महालक्ष्मी एंटरप्राइजेज तथा मेसर्स टेक्नोफैब इंटरनेशनल काल्पनिक संस्थाएं हैं, जिन्हें केवल फर्जी आईटीसी के परतन (लेयरिंग) एवं परिसंचरण के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। जांच में यह भी सामने आया है कि मेसर्स टेक्नोफैब इंटरनेशनल इस नेटवर्क में एक केंद्रीय माध्यमिक इकाई के रूप में कार्य कर रही थी।

यह भी उजागर हुआ है कि लगभग ₹51 करोड़ की धनराशि, वस्तुओं की किसी वास्तविक आपूर्ति के बिना, केवल काल्पनिक चालानों के आधार पर, मेसर्स प्रिशा एक्ज़िम से मेसर्स टेक्नोफैब इंटरनेशनल के बैंक खाते में स्थानांतरित की गई थी। आगे की जाँच में यह तथ्य सामने आया है कि उक्त धनराशि को वास्तविक व्यावसायिक उद्देश्यों में उपयोग किए जाने के स्थान पर कई असंबद्ध तृतीय पक्ष बैंक खातों में-विपथित किया गया, जिससे अपराध की आय के जानबूझकर

परतन (लेयरिंग), विपथन (डायवर्जन) और लोप (डिसिपेशन) का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। वित्तीय जांच से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि उक्त संस्थाओं के बैंक खातों का उपयोग केवल अपराध की आय के शोधन हेतु "थ्रू चैनल-पास" के रूप में किया गया था।

जाँच में यह भी उजागर हुआ है कि अपराध की आय अंततः मेसर्स प्रिशा एक्ज़िम सहित लाभार्थी संस्थाओं को स्थानांतरित की गई, जिसने लगभग ₹7.39 करोड़ की फर्जी आईटीसी का लाभ लिया एवं उपयोग किया था। फर्जी आईटीसी के सृजन, परतन (लेयरिंग) एवं उपयोग से संबंधित उक्त लेनदेन-, पीएमएलए की धारा 3 के अंतर्गत अपराध की आय से संबंधित प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों का निर्माण करते हैं।

जाँच में यह उजागर हुआ है कि शृंखला में सम्मिलित अधिकांश संस्थाएँ अपने घोषित व्यवसायिक स्थलों पर अस्तित्वहीन थीं तथा पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत जारी समन अवितरित लौट आए, जिससे उनका काल्पनिक स्वरूप सिद्ध होता है। जाँच के दौरान अभिलेखित बयान तथाकथित तौर पर बिना वस्तुआपूर्ति के चालान जारी करने तथा ऐसे - आईटीसी की जीएसटी देयताओं के निर्वहन हेतु उपयोग किए जाने की कार्यप्रणाली की पुष्टि करते हैं।

जाँच के दौरान, पीएमएलए की धारा 17 के अंतर्गत तलाशी की कार्यवाही की गई, जिसके फलस्वरूप अपराध संकेती दस्तावेज़, जीएसटी अभिलेख तथा डिजिटल साक्ष्य ज़ब्त किए गए। माननीय न्याय-निर्णयन प्राधिकारी ने, दिनांक 24.02.2026 के आदेश द्वारा, अन्य बातों के साथ साथ यह पाया कि ज़ब्त की गई सामग्री प्रथम दृष्ट्या वास्तविक वस्तु आपूर्ति के अभाव तथा काल्पनिक-बिल-सृजन के अस्तित्व को इंगित करती है।

प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए (ईडी), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स प्रिशा इलेक्ट्रिकल्स के नाम पर अपराध की आय के समतुल्य मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली 3.30 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करते हुए अपराध की आय को सुरक्षित करने की कार्रवाई की है।

यह मामला वर्तमान में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), युपिया के समक्ष विचाराधीन है तथा मामले में आगे की जांच जारी है।